



## आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

भवन प्राप्त करने का सुनहरा अवसर

### प्रथम आओं प्रथम पाओ के अन्तर्गत भवन प्राप्त करने का सुनहरा अवसर


कृपया आगरा विकास प्राधिकरण की फतेहाबाद रोड स्थित ताजनगरी द्वितीय चरण योजना में निर्मित ए0डी0ए0 हाईट्स (रिसा पंजीकरण संख्या-UPRERAPRJ6783) के अन्तर्गत रिक्त फ्लैटों का आवंटन "पहले आओ पहले पाओ" के माध्यम से, "जैसा है जहाँ है" के आधार पर फ्री-होल्ड पद्धति पर विक्रय किया जाना प्रस्तावित है, रिक्त फ्लैटों का विवरण निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	योजना का नाम	श्रेणी	कुल भवन संख्या	क्षेत्रफल सुपर एरिया (वर्गमी0)	फ्लैट का वर्तमान मूल्य (रुपये में)	फ्लैटों की नम्बरिंग
1	ए.डी.ए. हाईट्स	स्टूडियो (1बीएचके)	34	80.10	2419000.00	CT-1/401, 408, 502, 508, 602, 603, 604, 608, 703, 704, 706, 801, 802, 805, 807, 902, 904, 906, 908, 1002, 1003, 1004, 1005, 1102, 1105, 1106, 1108, 1201, 1202, 1203, 1205, 1206, 1208, G-3 (Total 34)
2	ए.डी.ए. हाईट्स	स्टूडियो (1बीएचके)	11	80.10	2419000.00	CT-2/302, 408, 508, 607, 901, 903, 908, 1008, G-1, G-3 & G-4 (Total 11)
3	ए.डी.ए. हाईट्स	डीलक्स (2बीएचके)	17	142.17	4293000.00	BT-1/203, 204, 302, 403, 404, 502, 503, 603, 604, 701, 702, 703, 803, 1001, 1101, 1103 & 1104 (Total 17)
4	ए.डी.ए. हाईट्स	डीलक्स (2बीएचके)	17	142.17	4293000.00	BT-2/101, 203, 204, 502, 601, 603, 701, 704, 803, 804, 1003, 1004, 1103, 1104, 1201, 1202 & 1204 (Total 17)
5	ए.डी.ए. हाईट्स	डीलक्स (2बीएचके)	25	142.17	4293000.00	BT-3/101, 204, 404, 702, 703, 704, 801, 802, 803, 804, 901, 902, 903, 904, 1001, 1002, 1003, 1004, 1101, 1102, 1104, 1201, 1202, 1203, 1204 (Total 25)
6	ए.डी.ए. हाईट्स	डीलक्स (2बीएचके)	15	142.17	4293000.00	BT-4/203, 204, 302, 303, 304, 402, 403, 404, 502, 503, 504, 1201, 1202, 1203, 1204 (Total 15)
7	ए.डी.ए. हाईट्स	सुपर डीलक्स-1 (3बीएचके)	19	181.41	5478000.00	AT-1/103, 404, 501, 503, 504, 703, 804, 902, 904, 1001, 1002, 1101, 1103, 1104, 1201, 1203, 1301, 1302 & G-2 (Total 19)
8	ए.डी.ए. हाईट्स	सुपर डीलक्स-1 (3बीएचके)	19	181.41	5478000.00	AT-2/301, 303, 304, 403, 501, 603, 701, 703, 802, 803, 901, 1004, 1103, 1104, 1202, 1203, 1204, 1301, 1303 (Total 19)
9	ए.डी.ए. हाईट्स	सुपर डीलक्स-2 (4बीएचके)	42	223.53	6778000.00	DT-1/103, 104, 201, 203, 204, 301, 304, 401, 402, 404, 501, 502, 503, 504, 601, 602, 603, 604, 701, 703, 704, 801, 802, 803, 804, 901, 902, 903, 1001, 1002, 1003, 1004, 1101, 1102, 1201, 1202, 1203, 1204, G-1, G-2, G-3 & G-4 (Total 42)
10	ए.डी.ए. हाईट्स	अल्ट्रा डीलक्स (4बीएचके)	16	260.14	7855000.00	DT-1/106, 205, 206, 305, 306, 405, 406, 505, 506, 605, 606, 705, 706, 806, 906 & 1006 (Total 16)

### प्रमुख शर्तें :-

1. पहले आओ पहले पाओ के माध्यम से सम्पत्ति का आवंटन जैसा है, जहाँ है के आधार पर किया जायेगा।
2. पंजीकरणों में प्रतिभाग करने हेतु पंजीकरण फॉर्म धनराशि रू0 560/- जमा कर प्राधिकरण स्थित यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा-जयपुर हाऊस, आगरा से प्राप्त कर सकते हैं पंजीकरण धनराशि निर्धारित समयान्तर्गत प्राधिकरण में डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करानी होगी।
3. भवनों की संख्या घट बढ़ भी सकती है।
4. डिमाण्ड ड्राफ्ट "Agra Development Authority, Agra." के नाम से जमा कराया जायेगा।
5. पंजीकरण फॉर्म कार्यादिवस में प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक कक्ष सं0- सी-44 में जमा कराये जायेंगे।
6. पहले आओ पहले पाओ के पंजीकरण में भाग लेने हेतु आवेदक को सभी प्रपत्र (आधार कार्ड, नवीन फोटो, पैन कार्ड की छायाप्रति) संलग्न कर नियमानुसार आवेदन फार्म व डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ संलग्न कर कार्यालय में जमा कराना होगा।

7. आगरा विकास प्राधिकरण की भवनों/प्लैटों का पंजीकरण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर खोला जा रहा है। जो आवंटी पहले अपना निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र डिमाण्ड ड्राफ्ट सहित जमा करेगा उसे रिक्त सम्पत्तियों में से इच्छानुसार सम्पत्ति आरक्षित कर दी जायेगी।
8. पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पंजीकरण करने हेतु पंजीकरण धनराशि को डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से ही स्वीकार किया जायेगा, किसी और माध्यम से पंजीकरण धनराशि जमा नहीं की जायेगी।
9. अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि की 3 वर्ष की 20 त्रैमासिक किश्तें 9 प्रतिशत वार्षिक यौगिक (3 माह विश्राम काल) सहित जमा करानी होगी। प्रथम समान त्रैमासिक किश्त आवंटन पत्र जारी होने के अनुगामी त्रैमास की प्रथम तिथि (01-जनवरी, 01-अप्रैल, 01-जुलाई, 01-अक्टूबर) से प्रारम्भ होगी। किसी भी किश्त की धनराशि का भुगतान विलम्ब से करने की दशा में विलम्ब ब्याज 2 प्रतिशत अतिरिक्त अर्थात् 11 प्रतिशत देय होगा।
10. किसी भवनों/प्लैटों पर एक समय पर दो या दो से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में कार्यालय में उस आवेदनकर्ता को वरीयता दी जायेगी, जिसका डिमाण्ड ड्राफ्ट पहले बना हो।
11. सम्पत्ति के मूल्य की 25 प्रतिशत आवंटन धनराशि (पंजीकरण धनराशि को समायोजित करते हुए), भूमि के मूल्य का 12 प्रतिशत फ्री-होल्ड शुल्क अतिरिक्त माँग पत्र के अनुसार निर्धारित समयावधि में एक मुश्त देय होगा।
12. आवंटित भवन/प्लैट का कब्जा सम्पूर्ण धनराशि जमा करने के पश्चात ही दिया जायेगा।
13. आवंटित भवन/प्लैट की सम्पूर्ण धनराशि जमा कराने हेतु आसान दरों पर विभिन्न बैंकों द्वारा ऋण सुविधा भी न्यूनतम प्रपत्र पूर्ण कराते हुये उपलब्ध करायी जा रही है।
14. भवन/प्लैट के शेष मूल्य की 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत किये जाने से 60 दिवस के अन्दर एक मुश्त भुगतान करने पर 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।
15. आवेदक पंजीकरण में इस शर्त के साथ प्रतिभाग करेगा कि उसे पहले आओ पहले पाओ के पंजीकरणों की शर्तों को स्वीकार करना अनिवार्य होगा। जो शर्तें पंजीकरण पुस्तिका में हैं।
16. अनुरक्षण शुल्क नियमानुसार आवंटी द्वारा अलग से देय होगा।
17. अन्य जानकारी विकास प्राधिकरण की वेबसाईट [www.adaagra.org.in](http://www.adaagra.org.in) व सोशल मीडिया (Facebook, Twitter LinkedIn Instagram) विस्तृत जानकारी किसी भी कार्यशील दिवस में सम्पत्ति अनुभाग कक्ष सं0 बी-13 एवं टॉल फ्री नम्बर 0562-2510070 एवं प्रोपर्टी हैल्पलाईन नं0-6397565113, से प्राप्त की जा सकती है।

  
 (सुरेन्द्र बहादुर सिंह)  
 संयुक्त सचिव